2014 का विधेयक सं.9

मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014 (जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर का नाम परिवर्तन करने और मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर अधिनियम, 2012 में कतिपय संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2014 है।
 - (2) यह त्रन्त प्रवृत्त होगा।
- 2. मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर का नाम परिवर्तन.- (1) मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 27), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, के अधीन निगमित मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर का नाम इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर होगा।
- (2) तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में या किसी भी अनुबन्ध, लिखत या अन्य दस्तावेजों में मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर के प्रति किसी भी निर्देश को इस अधिनियम द्वारा उस विश्वविद्यालय के यथा-परिवर्तित नाम से उसके प्रति निर्देश के रूप में पढ़ा और अर्थान्वित किया जायेगा।
- (3) इस अधिनियम में की कोई भी बात उक्त विश्वविद्यालय की निगमित प्रास्थिति की निरन्तरता पर प्रभाव नहीं डालेगी।
- 3. संशोधन.- (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से मूल अधिनियम, इस अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट विस्तार तक और रीति से, संशोधित हो जायेगा।
- (2) उप-धारा(1) के उपबंध धारा 2 के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे।

4. मूल अधिनियम का प्रोद्धरण.- मूल अधिनियम को राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर अधिनियम, 2012 के रूप में प्रोद्धृत किया जायेगा।

अनुसूची (धारा 3 देखिए)

दीर्घ नाम.- दीर्घ नाम में, विद्यमान अभिव्यक्ति "अलवर में मत्स्य विश्वविद्यालय" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अलवर में राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय" प्रतिस्थापित की जायेगी।

धारा 1.- उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर" के स्थान पर अभिव्यक्ति "राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर" प्रतिस्थापित की जायेगी।

धारा 2.- विद्यमान खण्ड (ण) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ण) "विश्वविद्यालय" से धारा 3 के अधीन निगमित राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर अभिप्रेत है;"।

धारा 3.- उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर" के स्थान पर अभिव्यक्ति "राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर" प्रतिस्थापित की जायेगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

महातमा भर्तृहरि की एतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हुए और उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाये रखने के लिए, राज्य सरकार ने मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर का नाम राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर के रूप में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव करने का विनिश्चय किया है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ईप्सित है। अतः विधेयक प्रस्तुत है।

> कालीचरण सराफ, प्रभारी मंत्री।

मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 27) से लिये गये उद्धरण

XX

XX

XX

दीर्घ नाम	राजस्थान राज्य	में अलवर में	मत्स्य विश	वविद्यालय
स्थापित और निव	गमित करने के लिए	और उससे	संसक्त और	आनुषंगिक
विषयों के लिए 3	पबंध करने के लिए	अधिनियम।		_
XX	XX	X	XX	XX

- 1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर अधिनियम, 2012 है।
 - (2) 社 (3) XX XX XX XX
- 2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (क) 社 (G) XX XX XX XX
 - (ण) "विश्वविद्यालय" से धारा 3 के अधीन निगमित मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर अभिप्रेत है;
 - (त) XX XX XX XX
- 3. विश्वविद्यालय का निगमन.- (1) विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, प्रथम कुलपति, प्रबंध बोर्ड और विद्या परिषद् के प्रथम सदस्य और ऐसे सभी व्यक्ति, जो इसके पश्चात् ऐसे अधिकारी या सदस्य हो जाते हैं, जब तक वे ऐसा पद या सदस्यता धारण किये रहते हैं, "मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर" के नाम से एक निगमित निकाय का गठन करेंगे और उसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी और उस नाम से वह वाद ला सकेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा।

(Authorised English Translation)

Bill No. 9 of 2014

THE MATSYA UNIVERSITY, ALWAR (CHANGE OF NAME) BILL, 2014

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

to change the name of the Matsya University, Alwar and to make certain amendments in the Matsya University, Alwar Act, 2012.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-fifth Year of the Republic of India, as follows:-

- **1. Short title and commencement.-** (1) This Act may be called the Matsya University, Alwar (Change of Name) Act, 2014.
 - (2) It shall come into force at once.
- 2. Change of name of the Matsaya University, Alwar.-(1) The name of the Matsya University, Alwar incorporated under the Matsya University, Alwar Act, 2012 (Act No. 27 of 2012), hereinafter referred to as the principal Act, shall, as from the date of commencement of this Act, be the Raj Rishi Bhartrihari Matsya University, Alwar.
- (2) Any reference to the Matsya University, Alwar in any law for the time being in force or in any indenture, instrument or other documents shall be read and construed as a reference to that University under its name as altered by this Act.
- (3) Nothing in this Act shall affect the continuity of the corporate status of the said University.
- **3.** Amendment.- (1) As from the date of commencement of this Act, the principal Act shall stand amended to the extent and in the manner specified in the Schedule to this Act.
- (2) The provisions of sub-section (1) shall be without prejudice to the generality of the provisions of section 2.
- **4.** Citation of the principal Act.- The principal Act may be cited as the Raj Rishi Bhartrihari Matsya University, Alwar Act, 2012.

THE SCHEDULE (See section 3)

Long Title.- In long title, for the existing expression "Matsya University at Alwar", the expression "Raj Rishi Bhartrihari Matsya University at Alwar" shall be substituted.

Section 1.- In sub-section (1), for the existing expression "the Matsya University, Alwar", the expression "the Raj Rishi Bhartrihari Matsya University, Alwar" shall be substituted.

Section 2.- For the existing clause (o), the following clause shall be substituted, namely:-

"(o) "University" means the Raj Rishi Bhartrihari Matsya University, Alwar incorporated under section 3;".

Section 3.- In sub-section (1), for the existing expression "the Matsya University, Alwar ", the expression "the Raj Rishi Bhartrihari Matsya University, Alwar" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Looking to the historical background of Saint Bhartrihari and to keep his memory immortal the State Government has decided to propose to change the name of the Matsya University, Alwar to Raj Rishi Bhartrihari Matsya University, Alwar.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives. Hence the Bill.

कालीचरण सराफ, Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE MATSYA UNIVERSITY, ALWAR ACT, 2012 (Act No. 27 of 2012) XX XX

$\mathbf{X}\mathbf{X}$			$\hat{\mathbf{X}}\hat{\mathbf{X}}$			XX		XX
	Long	Title	An Ac	t to est	ablisi	h and i	ncorporate	e Matsya
Univer	rsity a	t Alwar	in the	State of	Rajas	sthan an	d to provi	de for the
matter	s coni	nected t	herewii	th or inc	ident	al therei	to.	
XX			XX			XX		XX
	1. SI	hort tit	le, exte	ent and	com	mencen	nent (1)	This Act
may b	e calle	ed the M	latsya I	Universi	ty, A	lwar Ac	t, 2012.	
	(2)	to (3)	XX		XX		XX	XX
	2. D	D efinitio	onsIn	this Ac	t, un	less the	subject o	r context
otherv	vise re	equires,	-					
	(a)	to (n)	XX		XX		XX	XX
	(o)	"Unive	ersity"	means	the	Matsya	Universit	y, Alwar
		Incorp	orated	under se	ction	3;		
	(p)	XX	Y	ΚX	X	X	XX	XX
	3. In	corpor	ation o	of the U	Jnive	rsity (1) The Ch	nancellor,
the fir	rst Vi	ice-Cha	ncellor	, the fi	rst n	nembers	of the	Board of
Manag	gemen	t and th	ne Acad	demic C	ounc	il of the	Universit	y and all
person	s who	o may l	nereafte	er becon	ne su	ch offic	ers or me	mbers so
long a	is the	y conti	nue to	hold su	ich o	ffice or	members	hip shall
constit	ute a	body co	rporate	by the	name	of "the	Matsya U	niversity,
			-	-			nd a Comi	non Seal
and m	ay, by	that na	me, sue	e and be	sued.			
	(2) t	o (4)	XX		2	XX	XX	XX
XX			XX			XX		XX

2014 का विधेयक सं.9 मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा) राजस्थान विधान सभा

मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर का नाम परिवर्तन करने और मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर अधिनियम, 2012 में कतिपय संशोधन करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

प्रदीप कुमार शास्त्री, विशिष्ट सचिव। (कालीचरण सराफ, प्रभारी मंत्री)

Bill No. 9 of 2014

THE MATSYA UNIVERSITY, ALWAR (CHANGE OF NAME) BILL, 2014

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

 \boldsymbol{A}

Bill

to change the name of the Matsya University, Alwar and to make certain amendments in the Matsya University, Alwar Act, 2012.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

PRADEEP KUMAR SHASTRY, **Special Secretary.**

(Kali Charan Saraf, Minister-Incharge)